संख्या-107/13/2007-एवीडी.।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 27-6-2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अभियोजन की मंजूरी ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में किसी सरकारी कर्मचारी पर अभियोजन चलाए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लेने की अपेक्षा नियमित करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

(1) कोई भी न्यायालय धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान जिसके बाबत यह अधिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा :-

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाए नहीं हटाया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार,

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाए नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार,

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ।

(2) जहां किसी भी कारणवश इस बाबत शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अभिकथित है ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले (1984) 2 एस.सी.सी. 183 के मामले में, किसी ऐसे मामले में जब न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने को कहा गया जहां अभियुक्त सरकारी कर्मचारी ने उस पद पर कार्य करना समाप्त कर दिया था जिनका अभिकथित रूप से उन्होंने दुरुपयोग किया था; यद्यपि उस समय पर वे किसी अन्य पद पर कार्यरत

... 2/- ...

था, अनुमोदन की आवश्यकता के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के समानांतर प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह माना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 की सही व्याख्या करने पर उसमें यह अंतर्निहित है कि मात्र उसी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ही आवश्यक है जो कि किसी लोक सेवक को उस पद से हटाने के लिए सक्षम है, जिसका उसने कथित रूप से विकृत उद्देश्य से दुरुपयोग किया है और जिसके लिए उसके विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने का विचार किया गया है । न्यायालय ने यह माना है कि यदि किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराधों का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की तारीख से पूर्व अभियुक्त ने उस पद पर कार्य करना समाप्त कर दिया है तो धारा 6 के तहत, इस तथ्य के बावजूद भी किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहेगी कि किसी संगत तारीख को वह किसी ऐसे अन्य पद पर कार्यरत रहा होगा जो उसे लोक सेवक बनाए रखता हो जैसा कि धारा 21 में समझा गया है । माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि इस आशय के कुछ पूर्व के निर्णय, कि यदि कोई सरकारी सेवक उस पद पर कार्य करना समाप्त कर देता है जिसका उसने पहले दुरुपयोग किया था किन्तु किसी अन्य पद पर कार्य करते हुए सरकारी सेवक बना रहता है तो बाद वाले कार्यालय से उसे हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है, क़ानून को सही रूप से निर्धारित नहीं करते और इन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 की ठीक व्याख्या करने वाले निर्णय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के समकक्ष)

3. ये मुद्दे, पुन: प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2006 (13) एस.सी.ए.एल.ई. 54 के. करूणाकरन बनाम केरल राज्य 2006 (13) एस.सी.ए.एल.ई. 88 तथा लालू प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य 2006(13) एस.सी.ए.एल.ई. 91 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर.एस.नायक मामले में किए गए उपर्युक्त समाधानों का समर्थन किया और इस बात पर सहमत नहीं हुआ कि आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले मामले में व्यक्त किए गए मत सही नहीं हैं अथवा यह कि उपर्युक्त निर्णय गलती से लिया गया निर्णय मान लिया जाए या यह कि यह मामला विलोपित या छोड़ दिया गया मामला था ।

4. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों के तर्क ऐसे सिविल सेवकों पर लागू होते हैं जो सेवा अथवा संवर्ग के सदस्य रहते हुए अपने सेवा काल के दौरान भिन्न-भिन्न समय पर पर स्थानांतरण अथवा पदोन्नति आदि पर विभिन्न पदों को धारण करते हैं । विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि इन मामलों में मुकदमा लड़ने वाले पक्ष, राजनीतिक व्यक्तित्व थे जो भिन्न-भिन्न समय पर मुख्य मंत्री अथवा सांसद अथवा विधायक आदि पदों को धारण किए हुए थे और इसलिए यद्यपि वे ऐसे पदों को धारण करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक थे, किन्तु अपराध का संज्ञान लेने के समय उन्हें भिन्न-भिन्न पदों को धारण करने वालों के रूप में माना जा रहा था बजाए इसके कि उनके द्वारा एक पद धारित था और कथित रूप से उसका दुरुपयोग किया गया था जिसके लिए उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई

आरम्भ की जानी थी । ऐसा उपर्युक्त मामलों में लिप्त सार्वजनिक हस्तियों द्वारा धारित सार्वजनिक पदों के स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में है कि लोक सेवकों के रूप में कई पदों को धारण वाले लोक सेवकों से सम्बन्धित मुद्दे, एक लोक सेवक के रूप में किसी अन्य पद को धारण करने आदि के सम्बन्ध में भी उठाए गए । इन निर्णयों में किसी ऐसे लोक सेवक के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की गई है जो सेवा/संवर्ग के सदस्य के रूप में अपनी सरकारी सेवा के कॅरिअर के दौरान स्थानांतरण अथवा पदोन्नति पर विभिन्न तैनातियों/पदों को धारण करते हैं । उपर्युक्त उद्धृत मामलों में माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न अथवा मुद्दा भी नहीं था कि क्या इन विभिन्न पदों को धारण करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संगत धाराओं के अभिप्रेत के भीतर, विभिन्न कार्यालयों को धारण करने से था ।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उठाए गए मुद्दे/प्रश्न की विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच-पड़ताल की गई है । अत: एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी लोक सेवक द्वारा स्थानांतरण अथवा पदोन्नति पर विभिन्न पदों को धारण करने को, उपर्युक्त अधिनियम की संगत धाराओं के अभिप्राय के भीतर विभिन्न पदों/कार्यालयों को धारण करने के रूप में नहीं गिना जा सकता । उसके द्वारा धारित कार्यालय केवल वही सेवा है जिसका वह सिविल सेवक के रूप में एक सदस्य है भले ही स्थानांतरण/पदोन्नति आदि पर उसके द्वारा धारित पद कोई भी हों । अत: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मांगने की अपेक्षाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक अधिकारी सिविल सेवा का सदस्य बना रहता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत संरक्षण, केवल इस कारण अथवा आधार पर लिया गया – नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी ने जिस पद का अभिकथित रूप से दुरुपयोग किया है, उस समय अधिकारी स्थानांतरण अथवा पदोन्नति पर किसी अन्य पद पर कार्यरत था । अत: सभी जांचकर्ता अभिकरण/एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि किसी सिविल सेवक पर अभियोजन चलाए जाने के लिए वे न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत एक अपराध का संज्ञान लेने के लिए कहने से पूर्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करें ।

(विजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग ।
सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।

प्रति प्रेषित की जाती है:

मानक सूची के अनुसार ।